झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–04/आ0–02–1007/2016......2615...../ राँची, दिनांकः–......22/6/18

श्री अनुप कुमार हॉसदा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, चक्रधरपुर के विरूद्ध कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर के पत्रांक–251 दिनांक–05.04.2016 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण कार्य में रूची नही लेने, पदीय कर्त्तव्य के निवर्हन में लापरबाही बरतते हुए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा प्रमण्डल का माहौल बिगाडने का प्रयास करने संबंधित कतिपय गंभीर आरोप विभाग को प्रतिवेदित किये गये। उक्त आरोपों के विरूद्ध श्री हॉसदा से विभागीय पत्रांक–1753 दिनांक–29.04.2016 तथा पत्रांक–3251 दिनांक–20.07.2016 द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गयी। श्री हॉसदा द्वारा उनके पत्रांक–15 दिनांक–08.06.2016 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा का मंतव्य प्राप्त किया गया है। श्री हॉसदा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त मंतव्य सहित पूरे मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री हॉसदा के विरूद्ध कतिपय उक्त प्रतिवेदित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

तदोपरान्त पूरे मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त विभाग द्वारा उक्त वर्णित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री हॉसदा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–4749 दिनांक–20.10.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु विभागीय जाँच पदाधिकारी श्री शेखर कुमार वर्मा भा0प्र0से0(सेवानिवृत्त) को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
3. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या–11393 दिनांक–14.11.2017 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के लिए श्री कामेश्वर प्रसाद, झा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) को विभागीय जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या–5525 दिनांक–01.12.2017 द्वारा श्री कामेश्वर प्रसाद, झा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), विभागीय जाँच पदाधिकारी को जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक–21 दिनांक–24.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री हॉसदा के विरूद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण कार्य में रूचि नही लेने का आरोप आंशिक रूपेण तथा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरते जाने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करते हुए अशिष्टता पूर्वक पत्राचार कर सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(I)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचारण बरतने का आरोप पूर्णरूपेण प्रमाणित पाया गया।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित पाये गये आरोपो के विरूद्ध श्री हॉसदा से विभागीय पत्रांक–2010 दिनांक–09.05.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसके आलोक में श्री हॉसदा द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–25.05.2018 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। श्री हॉसदा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा अपने बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात् जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री हॉसदा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी, जिसमें श्री हॉसदा के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित उक्त वर्णित आरोप प्रमाणित पाये गये।

6. उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों हेतु विभाग द्वारा श्री हॉसदा के विरूद्ध झारखण्ड, सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14 (iv) में वर्णित **लघु दण्ड यथा तीन वेतन वृद्धि असंचायात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने का दण्ड, जिसका असर उनके पेंशन एवं सेवा सम्पुष्टि पर नही पड़ेगा** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश लिये जाते है–

   (i) श्री अनुप कुमार हॉसदा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर की तीन वेतन वृद्धि असंचायात्मक प्रभाव से अवरूद्ध की जाती है, जिसका असर उनके पेंशन एवं सेवा सम्पुष्टि पर नही पडेगा।

   (ii) उक्त आदेश के साथ श्री हॉसदा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/आ0–02–1007/2016– 2616 राँची,दिनांक– 22/6/18

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/आ0–02–1007/2016– 2616 राँची,दिनांक– 22/6/18

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रषाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 एवं 10 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

21/06/18

ज्ञापांक–04 / आ0–02–1007 / 2016– 2616 राँची,दिनांक– 22/6/18

प्रतिलिपि– व्यैक्तिक दावा कोषांग, वित्त विभाग / अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / आ0–02–1007 / 2016– 2616 राँची,दिनांक– 22/6/18

प्रतिलिपि– श्री अनुप कुमार हॉसदा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, चक्रधरपुर सम्प्रति सहायक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04 / आ0–02–1007 / 2016– 2616 राँची,दिनांक– 22/6/18

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.6.18

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

21/06/18